अपील सूचना अधिकार संख्या 106/2019 (RCMS 2019/00274) पतराम पुत्र जालूराम निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान 2. रामेश्वरल लाल पुत्र श्री चन्दुराम जाति नाई निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पतराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कुल चार बिन्दुओं की चाही गई थी, जो उनके उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। विकास अधिकारी से निर्धारित समय अवधि में एवं निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की हैं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पतराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र से निम्न सूचना चाही थी :

1. रामेश्वरलाल उर्फ रामेश्वर दयाल पुत्र चन्दुराम जाति नाई निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा आपकी पंचायत समिति के अधीन अध्यापक पद पर सरकारी सेवा में कार्यरत था, रामेश्वरलाल के अध्यापक बनते समय आय के साधन रामेश्वरलाल ने अपने आपने आवेदन में क्या बताया था, उसकी प्रमाणित प्रति।
2. रामेश्वरलाल अपके कार्यालय से सेवानिवृत कब हुआ दिनांक
3. रामेश्वरलाल ने कुल कितने वर्ष सर्विस की थी। रामेश्वलाल के सर्विस डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपि ....
4. रामेश्वरलाल आपके कार्यालय के अधीन अध्यापक पद पर स्थाई रूप से कब आया दिनांक ....

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ ने अपने पत्रांक 8582 दिनांक 18.11.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त प्रकरण अन्तरित कर लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष से संबंधित है। अतः तृतीय पक्ष की सहमति के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जावेगी।
>
> विकास अधिकारी
> पंचायत समिति, सूरतगढ

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ ने अपने पत्रांक 10690 दिनांक 21.01.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

> उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निवेदन है कि पतराम पुत्र री जालूराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा रामेश्वर लाल पुत्र श्री चन्दुराम जाति नाई निवासी मानक थेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ की सेवा के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, उक्त सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण कार्यालय पत्रांक/प.स.सू./सू.का.अ./2019–20/8285 दिनांक 18.11.2019 के द्वारा यह सूचना दी गई थी की उक्त सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण सम्बन्धित की सहमति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी एवं कार्यालय पत्रांक 8286 दिनांक 18.11.2019 के द्वारा अप्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र श्री चन्दूराम से सूचना देने के सम्बन्ध में सहमति चाही गई थी,

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रार्थी क़े द्वारा चाही र्ग सूचना, सूचना का अधिकार 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की होने के कारण सहमति प्राप्त होने के कारण नहीं दी जा सकी। सूचना साद्र प्रेषित है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, सूरतगढ

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ से है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पंचायत समिति की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित पंचायत समिति के प्रधान अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकार न होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा दी गई सूचनाओं से असतुंष्ट हो तो वह सम्बन्धित पंचायत समिति प्रधान जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी है, के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।**

आदेश की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 26.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर